

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 01/2021

जीसीएमएस नम्बर -2021/01

अपीलान्तगण

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

प्रेमसिंह पुत्र बदनसिंह जाति राव निवासी
ग्राम नादान भाटान तहसील रानी जिला
पाली हाल निवासी एम 5/60 गोकुल
अपार्टमेन्ट पारस नगर के सामने सोला रोड
नारायणपुरा, अहमदाबाद

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानी
जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री ओमप्रकाश राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलान्त
अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार

—: निर्णय :-

दिनांक:- 21.09.22

अपीलान्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 218/2020 बअनवान सरकार बनाम प्रेमसिंह में नायब तहसीलदार रानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2020 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम नादाना भाटान तहसील रानी के खसरा नम्बर 398 रकबा 725 वर्गमीटर किस्म गै.मु. ओरण व खसरा नम्बर 399 रकबा 176 वर्गमीटर गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अपीलान्त का अतिक्रमण दर्शाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 27.10.2020 को तारीख पेशी पर उपस्थित होने का नोटिस अपीलान्त के भाई भगवतसिंह को दिया गया। भगवतसिंह नियत तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि उसका भाई प्रेमसिंह अहमदाबाद रहता है। तामिल कुनिन्दा ने मुझे नोटिस दे दिया। प्रेमसिंह मेरे साथ नहीं रहता, यह कहने के बावजूद भी भगवतसिंह के हस्ताक्षर पत्रावली पर करवा कर प्रार्थी के विरुद्ध आनन फानन में एकतरफा आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। जैर आराजी के संबन्ध में ग्राम पंचायत नादान भाटान ने अपीलार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया है। पूर्व में तहसीलदार पाली द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी किया है जिससे यह ताईद होता है कि जैर आराजी पर अपीलान्त का कब्जा है, लेकिन फिर भी रेस्पोंडेन्ट ने अपीलान्त द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों को नजरअंदाज कर बेदखली का आदेश पारित कर दिया। ग्राम नादाना भाटान के खसरा नम्बर 399 रकबा 0.3640 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता जिसके पुराने खसरा नम्बर 719 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज था। दौराने सेटलमेन्ट पुराने खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 399 पड़े तथा रकबा 0.3640 हेक्टेयर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है जबकि पुराने रकबे के अनुसार नया रकबा 0.3642 हेक्टेयर बनता है। इसी प्रकार पुराने खसरा नम्बर 718 रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 398 रकबा 4.1097 हेक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकि पुराने रकबे के अनुसार नया रकबा 4.1112 हेक्टेयर बना है तथा राजस्व रेकॉर्ड में उक्त रकबा गैर मुमकिन औरण दर्ज है। विगत करीबन 100 वर्षों से उक्त दोनो रकबा गैर मुमकिन



(Handwritten signature)

अति. जिला कलक्टर, पाली

ओरण व गैर मुमकिन रास्ते के लिए उपयोग उपभोग नहीं हो रहा है। उक्त दोनो खसरे आबादी भूमि के पास स्थित है। ग्राम नादाना भाटान में कई वर्षों से आबादी भूमि के आवंटन नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत की आबादी काफी बढ़ गई है। ग्राम पंचायत में आबादी भूमि नहीं होने के कारण लगभग 40-50 परिवार जैर आराजी में करीब 30-40 वर्षों से निवास कर रहे हैं जिन्हे बेदखल किया जाना उचित नहीं है, जिसके संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार बनाम श्रीमती पदमावती देवी 1995 डीएनजे 208 में सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें अपीलाण्ट के विरुद्ध अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गयी है उसे निरस्त फरमाते हुए अपीलाण्ट का कब्जा बहाल किया जाकर पट्टा जारी करने के आदेश फरमावें। अपीलाण्ट का उक्त आराजी पर उसके पिता बदन सिंह के समय से कब्जा चला आ रहा है व जैर आराजी ही एक मात्र भूमि है एवं वर्षों से अपने परिवार सहित यहां निवास कर रहा है। अगर जैर आराजी का अपीलाण्ट के पक्ष में नियमितीकरण किया जाता है तो नियमानुसार जो राशि बनती है अपीलाण्ट जमा करवाने को तैयार है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाकर नायब तहसीलदार रानी के आदेश दिनांक 30.12.2020 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट के कब्जाशुदा भुखण्ड पर आवासीय मकान नियमितीकरण किया जाने का आदेश फरमावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम नादान भाटान तहसील रानी के खसरा नम्बर 398, 399 रकबा 725 वर्ग मीटर व 176 वर्ग मीटर किस्म गैर मुमकिन औरण एवं गैर मुमकिन रास्ता की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये हैं। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा कब्जा शुदा भूमि सिवायचक है एवं लम्बे समय से जुर्माना राशि जमा करवाता आ रहा है जिससे यह साबित होता है कि जैर आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा लम्बे समय से चला आ रहा है। जैर आराजी पर अपीलाण्ट 372 वर्ग मीटर पर पक्का मकान एवं शेष भूमि पर पक्की बाउंड्री बनाकर कब्जा किये हुए है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये हैं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की मंशा भी राजकीय भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त करना है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड/दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम नादान भाटान तहसील रानी के खसरा नम्बर 398,399 रकबा क्रमशः 725 एवं 175 वर्गमीटर किस्म क्रमशः गैर मुमकिन औरण एवं गैर मुमकिन रास्ता की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर पक्का मकान एवं पक्की बाउंड्री करने के कारण पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार रानी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर नायब तहसीलदार रानी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रेमसिंह को अतिक्रमी घोषित किया एवं रुपये 100/- का जुर्माना अधिरोपित करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया है। जैर अपील आदेश विधिसम्मत है। अपीलाण्ट स्वयं ने यह तार्ईद किया है कि उसने गैर मुमकिन औरण एवं गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर पक्का मकान एवं पक्की बाउंड्री बनाकर स्थायी कब्जा किया हुआ है एवं लम्बे समय से काबिज है जिसके संबध में अपीलाण्ट को पुर्व में भी नोटिस जारी किये जा चुके हैं, जिससे यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता कि अपीलाण्ट जिस भूमि पर काबिज है वह राजकीय भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये हैं,



(Handwritten signature)

अति. जिला कलक्टर, पाली

जिसमें पटवारी हल्का ने वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का लम्बे समय से कब्जा होना जाहिर किया है। इसे नकारने का कोई पर्याप्त एवं उचित कारण दर्शित नहीं किया है। प्रकरण में प्रश्नगत भूमि कि किस्म गैर मुमकिन औरण एवं गै.मु. रास्ता है जो सार्वजनिक उपयोग की होने से आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 218/2020 बअनवान सरकार बनाम प्रेमसिंह में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2020 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रेकॉर्ड लौटाया जावे।



निर्णय आज दिनांक 21.09.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

(चन्द्रभान सिंह भाटी)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली